न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 174
दायरा तिथि : 22.05.2024
आदेश तिथि : 05-08-2024
प्रार्थी :–

श्री विकास सीपा पुत्र जयनारायण सीपा जाति ढोली निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 05-08-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 722 / 1 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से रांजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 722 रकबा 0.7500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2024 / 904 दिनांक 04.07.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 722 / 1 रकबा 1.0400 हैक्टर से कटान मार्ग खसरा नंबर 692 से आवागमन हेतू अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता ग्राम कोठार के खसरा नंबर 722 रकबा 0.7500 हैक्टर किस्म बारानी सोयम से प्रस्तावित है एवं उक्त रास्ता कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि खसरा नंबर 722 रकबा 0.7500 हैक्टर किस्म बारानी सोयम वर्तमान में खाता संख्या 1 में राजकीय सिवायचक दर्ज है।
4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में पगडंडी के रूप में प्रचलित है।
6. यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	क़िस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	722	0.7500 हैक्टर	बारानी सोयम	107X9= 963 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

7. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक, कोठार की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित रास्ता के खसरा नंबर 722 की डी.एल.सी. दर 1,84,134 रू / – रूपये प्रति हैक्टर है।
8. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण / वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/174

अनवान विकास सीपा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 722/1 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/906 दिनांक 04.07.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 722/1 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 722 रकबा 0.7500 हैक्टर में से **963 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,84,134 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
722	0.7500 हैक्टर	107X9= 963 वर्गमीटर	19	18297 X2=36594	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 36,594/– (अक्षरे छत्तीस हजार पांच सौ चौरानवें रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
महायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/1027-1031
दिनांक : 14-08-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री विकास सीपा पुत्र जयनारायण सीपा जाति ढोली निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

महायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner